पत्रांक–4/क्षे०स्था० विविध (पत्राचार)03–09/2022–.........113.........(4)/रा०,

# बिहार सरकार
## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

**प्रेषक,**

**जय सिंह,**
**सचिव।**

**सेवा में,**

ई–मेल

**सभी समाहर्त्ता,**
**बिहार।**

पटना–15, दिनांक–07.03.2025

**विषय :–** **अंचल अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी का कार्यालय कर्णाकिंत स्थान यथा–अंचल कार्यालय एवं पंचायत सरकार भवन/राजस्व कचहरी भवन से संचालन का सुनिश्चित करने के संबंध में।**

**प्रसंग :–** **विभागीय पत्रांक–25(4), दिनांक–13.01.2017, पत्रांक–318(4), दिनांक–18.12.2020, पत्रांक–498(4), दिनांक–13.09.2022 एवं पत्रांक–708(4), दिनांक–14.12.2022**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का स्मरण किया जाए, जिसमें समाहित निदेशों का अनुपालन आवश्यक है।

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कतिपय अंचलों के हल्का कर्मचारियों द्वारा निर्धारित स्थान से अन्यत्र हल्का कार्यालय का संचालन कर राजस्व कार्य किये जाने, अंचल अधिकारी का डोंगल एवं लैपटॉप का उपयोग निजी व्यक्ति (दलाल) के द्वारा किये जाने एवं उक्त निजी कार्यालय में आवेदक को बुलाकर अवैध रूप से राशि वसूल कर कार्य किये जाने (छद्‌म कार्यालय चलाकर) का दृष्टांत समय–समय पर प्रकाश में आ रहा है, जो विभागीय निदेशों का उल्लंघन है एवं किसी भी परिस्थिति में सरकारी सेवक के आचरण के अनुकूल नहीं माना जा सकता है।

अतएव निदेश दिया जाता है कि :–

1. अपने–अपने जिलों में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अनुमण्डल पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता को सख्त निर्देश दें एवं समय–समय पर औचक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करायें कि सभी अंचलाधिकारी/राजस्व अधिकारी यथा निर्धारित स्थान अंचल कार्यालयों में सभी कार्य दिवसों के कार्यावधि में उपलब्ध रहकर सरकारी कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

2. हल्का कर्मचारियों के लिए निर्धारित कार्यालय (पंचायत सरकार भवन/राजस्व कचहरी भवन/सामुदायिक भवन) की सूची जिला राजस्व शाखा में संधारित करेंगे एवं इस संधारित सूची के अनुरूप शत–प्रतिशत सुनिश्चित करेंगे कि हल्का कर्मचारियों द्वारा सरकारी कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन निर्धारित स्थान (पंचायत सरकार भवन/राजस्व कचहरी/सामुदायिक भवन) से ही संपादित किया जाए।

3. यदि राजस्व कर्मचारी को एक से अधिक हल्का का प्रभार दिया गया है, तो अंचलाधिकारी रोस्टर का निर्धारण करते हुए राजस्व कर्मचारी को निर्धारित स्थान पर कार्य करने हेतु निदेशित करेंगे।

4. सभी समाहर्त्ता, अंचलाधिकारी से प्रमाण–पत्र/Undertaking प्राप्त करेंगे कि यथा निर्धारित स्थान से भिन्न किसी भी हल्के में समानान्तर (Parallel) हल्का कार्यालय नहीं चल रहा है।

5. प्रासंगिक विभागीय पत्रांक–318(4), दिनांक–18.12.2020 द्वारा संसूचित निदेश "जमाबंदी पंजी एवं अन्य राजस्व अभिलेखों को अधिसूचित कार्यालय में ही रखा जाना सुनिश्चित किया जाए" को अवक्रमित करते हुए निदेश दिया जाता है कि अंचल अभिलेखागार के अन्यत्र अन्य किसी भी स्थल पर कोई भी राजस्व अभिलेख नहीं रखा जाएगा। राजस्व कर्मचारी राजस्व अभिलेखों की स्कैन्ड सॉफ्ट कॉपी अपने लैपटॉप में संधारित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में यदि

कोई राजस्व अभिलेख भौतिक रूप से हल्का कार्यालय अथवा किसी भी कर्मी के पास पाया जाता है तो इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

6. अंचल कार्यालयों एवं हल्का कार्यालयों के राजस्व संबंधी कार्यों में निजी व्यक्तियों (दलालों) के हस्तक्षेप पर रोक लगाया जाय एवं अपने—अपने जिलों में एक सप्ताह के अंदर सभी अंचल कार्यालयों एवं हल्का कर्मचारियों के लिए अधिसूचित कार्यालयों का निरीक्षण कराया जाय।

यदि निरीक्षण/औचक निरीक्षण के क्रम में किसी अंचलाधिकारी/राजस्व अधिकारी/राजस्व कर्मचारी द्वारा पत्रांकित निदेशों का उल्लंघन किये जाने एवं राजस्व संबंधी कार्य निजी व्यक्तियों के माध्यम से कराये जाने का मामला पाया जाता है, तो उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अविलम्ब विभाग को प्रतिवेदित करेंगे।

विश्वासभाजन,

7/3/25

**(जय सिंह),**
**सचिव।**

**ई—मेल**

ज्ञापांक—4/क्षे0स्था0 विविध (पत्राचार)03—09/2022—113(4)/रा0, पटना—दिनांक—07.03.2025

प्रतिलिपि :— सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/3/25

**(जय सिंह),**
**सचिव।**

ज्ञापांक—4/क्षे0स्था0 विविध (पत्राचार)03—09/2022—113(4)/रा0, पटना—दिनांक—07.03.2025

प्रतिलिपि :— माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/3/25

**(जय सिंह),**
**सचिव।**

ज्ञापांक—4/क्षे0स्था0 विविध (पत्राचार)03—09/2022—113(4)/रा0, पटना—दिनांक—07.03.2025

प्रतिलिपि :— उप निदेशक, जनसंपर्क, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/3/25

**(जय सिंह),**
**सचिव।**

ज्ञापांक—4/क्षे0स्था0 विविध (पत्राचार)03—09/2022—113(4)/रा0, पटना—दिनांक—07.03.2025

प्रतिलिपि :— आई०टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

7/3/25

**(जय सिंह),**
**सचिव।**